


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) छोटूलाल यादव पुत्र- स्व० बनवारी यादव; 2) हुलास यादव पुत्र- सोहर यादव, 3) निर्मल कुमार पुत्र- तालो यादव; 4) प्रकाश यादव पुत्र- प्यारी यादव; 5) प्रेम यादव पुत्र- बुधन यादव; 6) ननकू यादव पुत्र- बुधन यादव; 7) अजू यादव पुत्र- जीतन यादव; 8) निखिल कुमार पुत्र- जीतन यादव; ग्राम: आरा, थाना: वालुमाथ जिला : लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: आरा थाना सं० 55 (रैयती भूमि) खाता सं० - 24, के अधीन प्लॉट सं० - 495, 608, 719, 726, 727, 823, 834, 919, 920, 1837/1999, 797, 971, 882, 1211, 1266, 1267, 1275, 1303, 1414, 1415, 468/2013, 562/2014, 1466, 1855, 1851/2022, 1466/2025, 1839/2032, 1839/2034; ग्राम: चमातु थाना सं० 56 (रैयती भूमि) के खाता सं० - 109, के अधीन प्लॉट सं० - 2308, 2341, 2404, 2413, खाता सं० - 111, के अधीन प्लॉट सं० - 2499/2698; खाता सं० - 17, के अधीन प्लॉट सं० - 2492; कुल रकबा: - 16.00 एकड़ (रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/notiempl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (मगध - संघमित्रा), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


17.2.24